

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

कमांक प0 07(5)राज/वाद/2022 पार्ट-1

जयपुर दिनांक 09/10/23

:: आदेश ::

राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 के अन्तर्गत निदेशालय, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग एवं इसके अधीनस्थ कार्यालयों में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर पदोन्नति हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की वर्ष 2022-23 में की गई अनुशंषाओं के पुनरावलोकन हेतु आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 08.10.2023 में की गई अभिशंषानुसार निम्न सूची के कॉलम संख्या 2 में अंकित सहायक प्रशासनिक अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 4 में अंकित पदोन्नति वर्ष के लिये कॉलम सं05 में अंकित रनिंग-पे ब्रेण्ड एवं ग्रेड-पे/पे-मेट्रिक्स लेवल पर अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर चयन कर, स्थानापन्न रूप से एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

क. सं.	कर्मचारी का नाम	श्रेणी	पदोन्नति वर्ष	रनिंग-पे ब्रेण्ड एवं ग्रेड-पे/पे-मेट्रिक्स लेवल
1	2	3	4	5
1	श्री किशन लाल जाट	ओ.बी.सी	2022-23 (01.04.2022 से)	9300-34800 ग्रेड-पे-4200/एल-11

उक्त पदोन्नत कार्मिक/अधिकारी अपने वर्तमान पद को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकतानुसार कमोन्नत मानते हुये 03 दिवस के भीतर कार्यग्रहण कर, अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्य करते रहेंगे एवं कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को (जरिये ई-मेल/डाक) प्रेषित करेंगे अन्यथा इसके अभाव में यह माना जावेगा कि वे पदोन्नत पद पर कार्यग्रहण करने के इच्छुक नहीं है और उनके द्वारा उक्त पदोन्नति का परित्याग (Forego) माना जावेगा। पदोन्नति का वास्तविक नकद लाभ कार्यग्रहण करने की दिनांक से देय होगा, किन्तु पूर्व में इनके द्वारा प्राप्त किये गये लाभ यथावत रहेंगे। उपरोक्त पदोन्नत कार्मिकों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे। श्री जाट की वरिष्ठता श्रीमती इन्दु माथुर के नाम के नीचे एवं श्रीमती सुधा गोयल के नाम के ऊपर होगी।

६०

(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशेषाधिकारी, माननीय विधिमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि/शासन सचिव, विधि/विशिष्ट शासन सचिव, विधि (वादकरण)।
3. संबंधित जिला कलक्टर,.....।
4. संबंधित कोषाधिकारी,.....।
5. संबंधित कार्यालय,.....।
6. सहायक लेखाधिकारी-1, वादकरण।
7. संबंधित कर्मचारी,.....।
8. प्रोग्रामर विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

9/10/23

(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि